2020/00204

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री जगदीश सैन पुत्र श्री छोगालाल सैन
निवासी कब्रिस्तान रोड़ सिरोही
जिला सिरोही

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 06 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरोही को दिनॉक 22.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 14.11.2019 को उपपंजीयक सिरोही द्वारा मौका निरीक्षण किये गये प्रतिवेदन की छाया प्रति एवं दस्तावेज नं. 2235/19 की ई–वैल्यू रिपोर्ट की छाया प्रति एवं दिनांक 14.11.2019 की तहसीलदार सिरोही की दैनिक डायरी की प्रति व पंजीयन दस्तावेज की प्रति का शुल्क 100 रूपये एवं स्टाम्प शुल्क 100 रूपये के अलावा फोटो कॉपी करवाने का शुल्क एवं श्री अर्बुदा गौशाला से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिराही को दिनॉक 22.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 14.11.2019 को उपपंजीयक सिरोही द्वारा मौका निरीक्षण किये गये प्रतिवेदन की छाया प्रति एवं दस्तावेज नं. 2235/19 की ई–वैल्यू रिपोर्ट की छाया प्रति एवं दिनांक 14.11.2019 की तहसीलदार सिरोही की दैनिक डायरी की प्रति व पंजीयन दस्तावेज की प्रति का शुल्क 100 रूपये एवं स्टाम्प शुल्क 100 रूपये के अलावा फोटो कॉपी करवाने का शुल्क एवं श्री अर्बुदा गौशाला से सम्बन्धित सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। उक्त सूचना तहसीलदार एवं उपपंजीयक सिरोही के कार्यालय से सम्बन्धित होने से उन्हें ए.डी.एम सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक 78 दिनांक 24.06.2020 को प्रेषित कर दिया है। उपपंजीयक सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिया जाना नियमों में संभव नहीं है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार सिरोही से सम्बन्धित चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	213-14 13/8/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:47:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner